



भारत सरकार
Government of India
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ
Integrated Regional Office, Lucknow



केन्द्रीय भवन, ग्यारवां तल, सेक्टर एच, अलीगंज, लखनऊ-226024
Kendriya Bhawan, 11th Floor, Sector H, Aliganj, Lucknow-226024, Phone No : 0522-2326696
Email : roc.lko-mef@nic.in, goimoe@nic.in, goimoe@nic.in@gmail.com

दिनांक: 24.08.2023

पत्र सं०: 8बी/यू0पी0/06/68/2022/एफ.सी./311

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन, बापू भवन, लखनऊ।

Online Proposal No. FP/UP/Approach/44699/2020

विषय: कार्योपरान्त स्वीकृति (Ex-Post Facto) के अन्तर्गत जनपद हाथरस में नगला उम्मेद-नगला भुस मार्ग (अन्य जिला मार्ग) (पुराना हाथरस आगरा मार्ग) किमी० 03 चैनेज 2.243 की बांयी पटरी पर खसरा सं०-10 में मै० इण्डियन ऑयल कॉर्पो०लि० द्वारा न्यू रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु 0.069777 हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के सम्बंध में।

संदर्भ: मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी का पत्रांक 214/11-सी-FP/UP/Approach/44699/2020, दिनांक 25.07.2023.

महोदय,

उपरोक्त विषयक सचिव (वन), उत्तर प्रदेश शासन के पत्रांक पी-44/81-2-2022-800(69)/2022, दिनांक-25.05.2022 का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी गयी थी।

प्रकरण के परीक्षणोपरान्त दिनांक 30.05.2023 को आहूत की गयी क्षेत्रीय सशक्त समिति (REC) की बैठक में विचारार्थ प्रकरण को Agenda Item No. 5.7 (UP) सम्मिलित किया गया था। क्षेत्रीय सशक्त समिति (REC) की बैठक में विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि निम्नलिखित बिन्दुओं पर सूचना प्राप्त करने के पश्चात् आगामी क्षेत्रीय सशक्त समिति (REC) की बैठक में प्रकरण को पुनः विचारार्थ रखा जायेगा :-

1. The DFO needs to immediately stop the unauthorized use of forest land for non-forestry purposes and initiate action in accordance with clause 1.12 (1) of Forest (Conservation) Act Guidelines.
2. Details of person/officials responsible for violation of FC Act, 1980 needs to be submitted.

जिसकी अनुपालन आख्या नोडल अधिकारी के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्राप्त हुयी है जिसपर विचारोपरान्त प्रकरण को दिनांक 10.08.2023 को आहूत की गयी क्षेत्रीय सशक्त समिति (REC) की बैठक में Agenda Item No. 8.3 (UP) सम्मिलित किया गया था। क्षेत्रीय सशक्त समिति (REC) की बैठक में विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि निम्नलिखित बिन्दुओं पर सूचना प्राप्त करने के पश्चात् आगामी क्षेत्रीय सशक्त समिति (REC) की बैठक में प्रकरण को पुनः विचारार्थ रखा जायेगा :-

1. DFO needs to take cognizance of the violation and initiate action as per FCA guidelines dated 15.05.2023 as directed and authorized by REC.
2. A detailed report regarding the same shall be submitted to this office for sending the proposal to the ministry for further necessary action.

भवदीय,

(डॉ० प्रणय मिश्रा)

सहायक वन महानिरीक्षक {केन्द्रीय}

प्रतिलिपि (ईमेल द्वारा) :-

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक(हॉफ), वन विभाग, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ०प्र०।
2. मुख्य वन संरक्षक(वन संरक्षण) एवं नोडल अधिकारी, वन विभाग, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ०प्र०।
3. जिलाधिकारी, हाथरस।
4. प्रभागीय वनाधिकारी, हाथरस वन प्रभाग, हाथरस।
5. मुख्य प्रबन्धक (रिटेल सेल्स) आई०ओ०सी०एल० संजय प्लेस, आगरा।
6. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु/आदेश पत्रावली।

(डॉ० प्रणय मिश्रा)

सहायक वन महानिरीक्षक {केन्द्रीय}